न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 106/2014

कालूराम पुत्र हिमताराम जाति मेघवाल, आयु 45 वर्ष निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

बनाम

हजारी लाल पुत्र रामरख जाति मेघवाल, निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा. का. अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर
दिनांक 27.11.2014

उपस्थितिः—
श्री ~~कालूराम~~ M-L (Gaur), अभिभाषक अपीलांट
श्री दुर्गाप्रसाद, अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक :— 21.08.17

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा. का. अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं

राजस्व अपील प्रा.
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि के सहकाश्तकार है एवं प्रार्थी व अन्य काश्तकारों के बीच में हुए घरू बंटवारा के अनुसार प्रार्थी के पास अन्य आराजी के अलावा मु. नं. 31 के कि. नं. 9, 12 पर कब्जा काश्त है । प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि पर पिछले 25 वर्ष से काश्त करता आ रहा है । पिछले कुछ समय से अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी को उसके कब्जा व हिस्सा की राशि से बेदखल करने की धमकियां दे रहा है । यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह चक 17 केएसडी के खाता सं. 94/07 में कुल 20.632 है. में प्रार्थी के नाम 1.653 है. में से मु. नं. 31 के कि. नं. 9 व 12 को रहन बय से मुंतकिल न करे एवं प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि में अतिक्रमण करने से एवं खुर्द–बुर्द करने से बाज व ममनू रहे ।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की नहीं की जा सकती । प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

सुनवाई करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.11.2014 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश कर दी।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

2/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में रहन बय व प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने का अनुतोष चाहा था । दावा के निर्णय से पूर्व यदि प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप कर दिया जाता है या बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने कि. नं. 9 व 12 पर अपना कब्जा काश्त बताया है जो गलत है । अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है । अतः अपील खारिज की जावे ।

उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

रेस्पों. ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में हिस्सा नहीं है । भूमि का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । यदि वाद के निर्णय से पूर्व अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है या भूमि का अंतरण हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ने की संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना

21/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि वाद के निर्णय तक अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि चक 17 केएसडी के खाता सं. 97/07 में अपीलांट के हिस्से तक की भूमि में रेस्पो. हस्तक्षेप न करे एवं भूमि को रहन बैय आदि द्वारा मुंतकिल न करे ।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

21/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)